

31.5.22

प्रतापती सेवा हुई। क्योंकि पहला शान अनुपादित
 क्योंकि प्राचीन प्रार्थना अपराधियों को न्यायालय
 समस्त क्वार-क्वार आवाज बगवाई गई
 लेकिन कोई उपाय नहीं है। और ना-ही
 प्रमाण अबसर दिने जाने पर अपराधियों को
 तामील हेतु तलवाना कोर्ट पेश की गयी है।

अतः प्राचीन प्रार्थना पर अनुपादित
 धारा 212 श. टी. से. 157 का. से. अपराधियों को
 तामील हेतु तलवाना कोर्ट पेश की जाने पर
 प्रमाण अबसर दिने जाने पर अनुपादित आदेश
 09 नियम 05 के तहत जारी किया गया है
 प्रतापती को सब सुमा हेतु नम्बर से कम
 होकर दायित्व दायर हो। मि. मि. कुले न्यायालय
 में सुनाया गया।

उपस्थित अधिकारी
 साँभर लेल

